न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाँसवाड़ा(राज.)

पीठासीन अधिकारी – रजनी कुमावत, आर.जे.एस.

रेग्यूलर फौजदारी प्रकरण संख्या – 1285/2019

सी.आई.एस. संख्या – 1285/2019

राजस्थान राज्य, जरिये अभियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा (राज.)

-अभियोगी

// बनाम //

1- महेश पुत्र हनुमानसिंह खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

2- आकाश पुत्र महेश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

3- अजय पुत्र महेश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

4- अमित पुत्र हरीश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

-अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 447, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.

उपस्थितिः-

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से

02. श्री मुकेश मईड़ा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से

निर्णय दिनांकः 29.06.2026

01- प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 14.01.2019 को प्रार्थीया अनिता मकवाना पत्नी मुकेश मकवाना निवासी कालिकामाता सावनपाड़ा बांसवाड़ा ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि घटना शाम करीब 7 बजे के लगभग प्रार्थीया अनिता मकवाना पत्नी मुकेश मकवाना निवासी कालिका माता सावनपाड़ा कालाजी डुंगरी बांसवाड़ा की होकर

उसके घर के आंगन में अनधिकृत प्रवेश होकर अभियुक्त अजय खराड़ी, महेश खराड़ी, आकाश खराड़ी, अमित खराड़ी के एकराय होकर हाथों में लट्ठ पत्थर लेकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। मौके पर बीच-बचाव करने उसके पति मुकेश आया तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। बीच-बचाव में वक्त घटना उसकी पुत्री रोशनी, कोमल, शालिनी ने बीच-बचाव किया वगैरह.......।

02- उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 अंतर्गत धारा 447, 323, 504/34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 447, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र दिनांक 17.07.2019 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा में पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 447, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा/श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 04 दिनांक 06.01.2023 की पालना में यह प्रकरण इस न्यायालय में अंतरित किया गया।

03- अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 447, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आगे विचारण के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद होने से अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 447, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. की विशिष्टीयां दिनांक 21.09.2019 को पृथक से विरचित कर सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराधों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू-01 अनिता, पी.डब्ल्यू-02 कोमल, पी.डब्ल्यू-03 मुकेश, पी.डब्ल्यू-04 रोशनी, पी.डब्ल्यू-05 शालिनी, पी.डब्ल्यू-06 सुरेश मकवाना, पी.डब्ल्यू-07 डॉ रवि उपाध्याय व पी.डब्ल्यू-08 नारायण सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित

रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, नक्शामौका प्रदर्श पी 03, आहत अनिता का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04, सीटी स्केन प्रदर्श पी 05, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 व चोट प्रतिवेदन हेतु तहरीर प्रदर्श पी 07 को पेश कर प्रदर्शित किया गया। गवाह सूची में कोई गवाह शेष नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।

04- अभियुक्तगण के विरूद्ध आयी साक्ष्य के लिए उन्हें धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो उन्होंने साक्ष्य अभियोजन में हुए गवाहों के बयानों को गलत बताया तथा साक्ष्य-सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया जाकर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

05- दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है, कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। गवाहों के बयानों से घटना की ताइद नहीं होती है। गवाहों के बयानों में घटना को लेकर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करार दिया जावे।

06- इसके विपरीत विद्वान् अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जावे। सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07- उभय पक्षों के उक्त तर्कों के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से अवधारणीय प्रश्न यह है, कि-

01- आया अभियुक्तगण ने दिनांक 14.01.2019 को शाम करीब 7 बजे मौजा कालिका माता सावनपाड़ा बांसवाड़ा में आपराधिक आशय से परिवादीया श्रीमती अनिता के आंगन में अनधिकृत

प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया व परिवादीया श्रीमती अनिता एवं उसके पति मुकेश को स्वेच्छया कुंद आलय, लात-मुक्कों से साधारण उपहतियां कारित कीं व परिवादीया श्रीमती अनिता को स्वेच्छया कुंद आलय से गंभीर उपहति अस्थिभंग कारित की तथा परिवादीया एवं उसके पति मुकेश को लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली-गलौच की?

02- यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड की भागीदार होंगी?

08- अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखा जावे तो प्रकरण में प्रार्थीया अनिता द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज कराई है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में बताया कि घटना शाम करीब 7 बजे के लगभग प्रार्थीया के घर के आंगन में अभियुक्तगण अनधिकृत प्रवेश होकर एकराय होकर हाथों में लट्ठ पत्थर लेकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। मौके पर बीच-बचाव करने उसका पति मुकेश आया तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। बीच-बचाव में वक्त घटना उसकी पुत्री रोशनी, कोमल, शालिनी ने बीच-बचाव किया। इस संबंध में प्रार्थीया अनिता न्यायालय के समक्ष बतौर पी.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुई है जिसने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2017 की घटना है वह उसके घर पर थी। उसके पति खेत में काम कर घर पर आये तब अजय, आकाश, महेश, अमित उसके घर में हाथों में लट्ठ और पत्थर लेकर आये और गाली गलौच करते हुए उसके घर के आंगन मे प्रवेश कर उसके पति के साथ मारपीट करने लगे। वह जब बीच बचाव करने गयी तो उसके साथ भी मारपीट की। उसे आकाश ने सिर मे

लट्ठ मारा जिससे उसे चोटे आई थी। मारपीट से उसके पति के पीठ पर भी चोटे आई थी। उसकी बेटी ने बीच बचाव किया था। थाने मे रिपोर्ट उसने दी थी जो प्रदर्श 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, पुलिस मौके पर आई थी नक्षा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 3 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सीटी स्कैन प्रदर्श पी 5 है, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 6 है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं है, फिर कहा कि उसन बोला और पुलिस वाले ने लिखि थी। यह भी स्वीकार किया कि मलजिम उसके पड़ोसी हैं इसलिए वह उनके नाम-पते जानती है। यह भी स्वीकार किया कि वक्त घटना अंधेरा हो गया था लेकिन लाईट चालू कर दी थी।

इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों में घटना की ताईद की है तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके घर के आंगन में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके व उसके पति के साथ गाली-गलौच व मारपीट करना बताया है जिससे उन्हें चोटें आने का भी कथन किया है। गवाह ने अपने बयानों में घटना की ताईद की है।

09- इसी संबंध में प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 03 मुकेश जो कि मजरूब है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 14.01.2019 को शाम सात बजे की घटना है, वह बाजार से घर की तरफ जा रहा था। अजय, आकाश, अमित, महेश चारों रोड पर शराब पीकर बोतल रोड़ पर फेंक रहे थे। उसके द्वारा उनको रोके जाने पर उन्होंने उसकी पत्नी को लट्ठ से मारा व उसके साथ लातों घुसों से मारपीट करने लगे। उसके चिल्लाने पर उसकी पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी मारपीट की, अजय ने उसकी पत्नी को लट्ठ मारा। मामूली चोटे हाने से उसने इलाज नहीं करवाया। पत्नी का इलाज एमजी हॉस्पीटल में करवाया था। पुलिस मौके पर आई थी नक्शा मौका बनाया जो प्रदश पी 3 है

सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान व एफआईआर में बोतल को रोड पर फेंकने से रोका और मारपीट हुई हो उस बारे में नहीं लिखवाया है। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 3 में क्या लिखा उसे नहीं पता। यह भी स्वीकार किया कि मुलजिमान पड़ोसी हैं।

इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों में मारपीट की ताईद की है तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करना बताया है। गवाह के बयानों में इस बात को लेकर जरूर विरोधाभास है कि घटना उसके घर के आंगन में हुई या रोड पर। प्रार्थीया ने अपने बयानों में घटनास्थल उसके घर का आंगन बताया है परंतु गवाह पी.डब्ल्यू 03 मुकेश ने घटनास्थल रोड बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि गवाह ने मारपीट की घटना की ताईद की है।

10- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 02 कोमल जो कि चश्मदीद गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2017 की घटना है, वह उसके मम्मी के साथ घर पर थी। उसके पापा खेत में काम कर घर पर आये तब अजय, आकाश, महेश, अमित उसके घर में हाथों में लट्ठ और पत्थर लेकर आये और गाली गलौच करते हुए उसके घर के आंगन में प्रवेश कर उसके पापा के साथ मारपीट करने लगे। उसके मम्मी बीच बचाव करने गये तब उनको आकाश ने सिर पर लट्ठ मारा जिससे उनके चोटे आई। जिरह में स्वीकार किया कि पुलिस ने घर पर बयान लिये थे। यह भी स्वीकार किया कि मुलजिम उसके पड़ोसी हैं इसलिए वह उनके नाम-पते जानती है।

इस प्रकार उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में घटना की ताईद करते हुए अभियुक्तगण द्वारा हाथों में लट्ठ-पत्थर लेकर उसके पिता के साथ मारपीट व गाली-गलौच करना बताया है।

11- प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 04 रोशनी व पी.डब्ल्यू 05 शालिनी जो कि चश्मदीद गवाह हैं। उक्त गवाहों ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 14.01.2019 को शाम सात बजे की घटना है, उसके पिता बाजार से घर की तरफ जा रहे थे। अजय, आकाश, अमित, महेश चारों रोड पर शराब पीकर बोतल रोड पर फेंक रहे थे, उसके पिता द्वारा उनको रोके जाने पर उन्होंने उसकी माता को लट्ठ से मारा व उसके पिता के साथ लातों-घुसों से मारपीट करने लगे। उसकी मां के शरीर पर गंभीर चोटें आई जिनसे आज भी तकलीफ है। उनके सिर पर आंख के उपर टांके आए थे। जिरह में गवाहों ने स्वीकार किया वे वक्त घटना घर पर थे। गवाह पी.डब्ल्यू 05 शालिनी ने स्वीकार किया कि झगड़ा घर के सामने हुआ था।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसके माता-पिता के साथ मारपीट करना बताया है परंतु उक्त दोनों गवाहों ने घटनास्थल रोड बताया है। ऐसे में उक्त दोनों गवाहों के बयानों से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि घटनास्थल रोड है या प्रार्थीया का आंगन। गवाह ने मारपीट की जरूर ताईद की है।

12- प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 06 सुरेश मकवाना नक्शामौका का गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि मोहल्ले में लड़ाई-झगड़ा हुआ था। अनिता के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस आई थी। नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि नक्शामौका प्रदर्श पी 3 में क्या लिखा है उसे नहीं पता। **इस प्रकार उक्त गवाह ने नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है परंतु उक्त फर्द में क्या लिखा है इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है।**

13- प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 07 डॉ रवि उपाध्याय जो कि प्रार्थीया के आई चोटों की ताईद करेगा। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य

परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 15.01.2019 को महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना कोतवाली की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ। जो प्रदर्श पी 7 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिस पर उसने आहत श्रीमती अनिता देवी पत्नी मुकेश मकवाना उम्र 46 वर्ष के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था जो निम्न है- 1. टांके लगा घाव (7 गुणा 1 सेमी) दाहिनी तरफ दाहिनी आंख के, 2. निलगू नीला रंग लिए हुए (6X4 सेमी) दाहीने कंधे पर। 3. नीलगू नीला रंग लिए हुए (5X4 सेमी) पीठ पर। 4. नीलगू नीला रंग लिए हुए (3X4 सेमी) बायीं अग्र भूजा पर। उक्त सभी चोटों के लिए एक्सरे व सीटी स्केन की राय दी थी। बाद एक्सरे चोट सं. 1 गंभीर प्रकृति की पाई गई। अन्य चोटें साधारण प्रकृति की थी। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होकर चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है। जिस पर ए से बी आहत व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। ई से एफ भाग में एक्सरे व सीटी स्केन की राय है। चोटों से संबंधित एक्सरे व सीटी स्केन प्रदर्श पी 5 व पी 6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि आहत के चोटें गिरने पड़ने से आई हो।

इस प्रकार उक्त गवाह ने आहत के आई चोटों की ताईद की है तथा चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की होना व अन्य चोटें साधारण प्रकृति की होना बताया है।

14- प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 08 नारायण सिंह अनुसंधान अधिकारी है जिसके द्वारा प्रकरण में समस्त अनुसंधान करना बताया है। उक्त गवाह ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 14.01.2019 को पुलिस थाना कोतवाली में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण अंतर्गत धारा 323, 504, 447/34 भा.दं.सं. की तफ्तीश उसके जिम्मे की। जिस पर उसके द्वारा गवाहों के बयान उनके कहेनुसार लिये। घटनास्थल का निरीक्षण किया। नक्शामौका बनाया। मजरूब की चोट के संबंध में एमओ

साहब को तहरीर जारी कर चोट प्रतिवेदन को शामिल पत्रावली किया। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। एमओ तहरीर प्रदर्श पी 5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण तफ्तीश से अभियुक्तगण महेश, आकाश, अजय, अनिल के विरुद्ध धारा 323, 325, 504, 447/34 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित होने पर पत्रावली वास्ते चालान पेश करने हेतु तत्कालीन एसएचओ के समक्ष पेश की। जिसके साथ काम करने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है जो चार्जशीट पर ए से बी है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके नाम का पृष्ठांकन है व ई से एफ थानाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि सभी फर्दों के गवाह मजरूब के रिश्तेदार हैं। यह भी स्वीकार किया कि मौके का घटनास्थल घटना के चार दिन बाद बनाया। **इस प्रकार उक्त गवाह ने प्रकरण में समस्त अनुसंधान करना अपने बयानों में बताया है।**

15- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त गवाहों के बयान व दस्तावेजों का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में पी.डब्ल्यू 01 श्रीमती अनिता द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 दर्ज कराई है जिसने अपने बयानों में घटना की ताईद की है तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके घर के आंगन में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके व उसके पति के साथ गाली-गलौच व मारपीट करना बताया है जिससे उन्हें चोटें आने का भी कथन किया है। प्रकरण में मजरूब पी.डब्ल्यू 03 मुकेश ने अपने बयानों में मारपीट की ताईद की है तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करना बताया है। गवाह ने अपने बयानों में घटनास्थल रोड बताया है जबकि प्रार्थीया ने अपनी रिपोर्ट व न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में घटनास्थल घर का आंगन बताया है ऐसे में उक्त गवाह के बयानों से घटनास्थल को लेकर विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस बात को लेकर जरूर विरोधाभास है कि घटना उसके घर के आंगन में हुई या रोड पर। प्रार्थीया ने अपने बयानों में घटनास्थल उसके घर का आंगन बताया है परंतु गवाह पी.डब्ल्यू 03 मुकेश ने घटनास्थल रोड बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि गवाह ने मारपीट की

घटना की ताईद की है। इसी संबंध में चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू 02 कोमल ने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में घटना की ताईद करते हुए अभियुक्तगण द्वारा हाथों में लट्ठ-पत्थर लेकर उसके पिता के साथ मारपीट व गाली-गलौच करना बताया है। प्रकरण में अन्य चश्मदीद गवाहान पी.डब्ल्यू 04 रोशनी व पी.डब्ल्यू 05 शालिनी ने अपने बयानों में मारपीट की घटना की जरूर ताईद की है परंतु उक्त दोनों गवाहों के बयानों में भी घटनास्थल को लेकर विरोधाभास है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया पी.डब्ल्यू 01 अनिता के आई चोटों की ताईद चोट प्रतिवेदन के गवाह पी.डब्ल्यू 07 डॉ रवि उपाध्याय ने की है तथा प्रार्थी की चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की व अन्य चोटें साधारण प्रकृति की होना बताया है। प्रकरण में गवाहों के बयानों में घटनास्थल को लेकर विरोधाभास है। गवाह पी.डब्ल्यू 01 अनिता व पी.डब्ल्यू 02 कोमल ने घटनास्थल घर का आंगन बताया है जबकि गवाह पी.डब्ल्यू 03 मुकेश, पी.डब्ल्यू 04 रोशनी व पी.डब्ल्यू 05 शालिनी ने घटनास्थल रोड बताया है। ऐसे में धारा 447 भा.दं.सं. के तत्व प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः यह स्थिति स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 14.01.2019 को शाम करीब 7 बजे मौजा कालिका माता सावनपाड़ा बांसवाड़ा में परिवादीया श्रीमती अनिता एवं उसके पति मुकेश को स्वेच्छया कुंद आलय, लात-मुक्कों से साधारण उपहतियां कारित कीं व परिवादीया श्रीमती अनिता को स्वेच्छया कुंद आलय से गंभीर उपहति अस्थिभंग कारित की तथा परिवादीया एवं उसके पति मुकेश को लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली-गलौच की। अतः अभियुक्तगण 1- महेश पुत्र हनुमानसिंह खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) 2- आकाश पुत्र महेश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) 3- अजय पुत्र महेश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) 4- अमित पुत्र हरीश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) को उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त

अभियुक्तगण को उनपर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)

16- **दंड के प्रश्न पर सुना गया-**

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है अभियुक्तगण का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः अभियुक्तगण को परीविक्षा पर रिहा किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना ही उचित होगा।

17- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन-अध्ययन किया गया। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड व आजीवन कारावास से दण्ड़नीय नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण को तुरंत कारावास से दंडित किए जाने के स्थान पर परिवीक्षा का लाभ प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

18- फलतः अभियुक्तगण 1- महेश पुत्र हनुमानसिंह खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) 2- आकाश पुत्र महेश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) 3- अजय पुत्र महेश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) 4- अमित पुत्र हरीश खराड़ी उम्र वयस्क निवासी सावनपाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) को उन

पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उक्त दोषसिद्धि पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 के तहत आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्तगण आज की तिथि से 01 साल बाबत रूपये 10,000/- का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूपत्र इस आशय के पेशकर तस्दीक कराये कि वे शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित हो जाएंगे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तगण धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के अधीन रुपए 1000/- अक्षरे एक हजार रूपए अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करवाएंगे तथा अभियुक्तगण इस आशय का स्वयं का शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषसिद्धि पर परिवीक्षा का लाभ प्रदत्त नहीं किया गया है, तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर मुक्त कर दिया जावे।

19- अभियुक्तगण के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)

20- निर्णय आज दिनांक 29.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)